अनुदान संख्या 48 – पुलिस
GRANT No. 48 - POLICE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged -*		*7,49,00*	*3,23,55*	*-4,25,45*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*2,20,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	88707,75,00	94998,38,00	94513,92,07	-484,45,93
पूरक	Supplementary	6290,63,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				48,05,50
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged -*		*6,33,00*	*1,78,77*	*-4,54,23*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*2,72,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	10811,89,00	10811,91,00	8917,81,15	-1894,09,85
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1563,20,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹86.00 लाख* का *विनियोग* चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹86.00 lakhs* remained wholly unutilized under four heads;

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	8369729.00			
पू.	S.	538627.00	8876851.00	8834722.98	-42128.02
पु.	R.	-31505.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants- in-aid to State Governments				
मू.	O.	473484.00			
पू.	S.	12135.00	487144.00	485634.59	-1509.41
पु.	R.	1525.00			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants- in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	27562.00			
पू.	S.	78301.00	131037.50	131034.50	-3.00
पु.	R.	25174.50			

(I) ₹1736.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹788.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2055" – "शिक्षा तथा प्रशिक्षण – राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन" के अंतर्गत – इस संस्थान को अभी प्रचालनात्मक न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1736.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹788.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2055" - "Education and Training - National Police University General Administration" - due to institute yet to be operationalized.

(II) मार्च, 2020 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहाः–

(II) Supplementary grant obtained in March, 2020 under Major Head "2055" remained wholly unutilized under the following heads as shown against each: -

(का) "शिक्षा और प्रशासन – आप्रवासन ब्यूरो" – ₹53608.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹176.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹53784.00 लाख किया गया। तथापि, ₹3044.23 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – रिक्त पदों को न भरे जाने, कार्य की धीमी गति और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - Bureau of Immigration"- the original provision of ₹53608.00 lakhs were augmented to ₹53784.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹176.00 lakhs. However, there was a saving of ₹3044.23 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, slow pace of work and less tour undertaken.

(खा) "असम राइफल – स्थापना तथा प्रशासन" – ₹576567.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹3535.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹580102.00 लाख किया गया। तथापि, ₹36872.74 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) सेवानिवृत्ति / मृत्यु / बरखास्तगी / सेवामुक्ति के कारण कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन होने, कम दावे प्राप्त होने, कम संख्या में संविदागत श्रमिक रखे जाने, तथा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(B) "Assam Rifles - Establishment and Administration" - the original provision of ₹576567.00 lakhs was augmented to ₹580102.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3535.00 lakhs. However, there was a saving of ₹36872.74 lakhs (including supplementary grant) - due to variation in staff strength owing to retirement/death/ dismissal/discharge, receipt of less claims, hiring of less contractual labours, non-finalization of proposals and non-filling up of vacant posts.

(III) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहाः–

(III) Supplementary grant obtained in November, 2019 and March, 2020 under Major Head "2055" remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – आसूचना ब्यूरो" – ₹227530.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹9596.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹237126.00 कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने, कार्य गति धीमी से होने,

(A) "Direction and Administration - Intelligence Bureau"- the original provision of ₹227530.00 lakhs was augmented to ₹237126.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹9596.00 lakhs which,

प्रस्तावों / दावों को अंतिम रूप न दिए जाने, भर्ती परीक्षाओं को स्थगित किए जाने, किराया बिलों की कम प्राप्ति होने तथा कम दौरे किए जाने के कारण ₹4695.88 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

however, remained unutilized to the extent of ₹4695.88 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, slow progress of work, non-finalization of proposals/claims, postponement of recruitment exams, less receipt of rent bills and less tours undertaken.

(खा) "केन्द्रीय रिजर्व पुलिस – स्थापना" – ₹2325877.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹140234.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2466111.00 किया गया जो, तथापि रिक्त पदों को न भरे जाने, प्रस्तावों / दावों की प्राप्ति न होने, कम दौरे किए जाने तथा कम विज्ञापन के कारण ₹20025.38 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Central Reserve Police - Establishment" - the original provision of ₹2325877.00 lakhs was augmented to ₹2466111.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹140234.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹20025.38 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of proposals/claims, less tour undertaken and less advertisement.

(गा) "विशेष पुलिस – अनुसंधान" – ₹55878.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹5029.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹60907.00 किया गया जो, तथापि, संविदागत दायित्वों को पूरा न किए जाने और उपलब्धि अनुसार भुगतानों में विलंब होने के कारण ₹4400.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) "Special Police - Research" - the original provision of ₹55878.00 lakhs was augmented to ₹60907.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5029.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹4400.00 lakhs - due to non-fructification of contractual obligations and delay in milestone payments.

(घा) "सीमा सुरक्षा बल – सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" – ₹1944040.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹89071.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2033111.00 किया गया जो, तथापि, राशन मनी भत्तों की दरों में कम बढ़ोतरी होने तथा दावे प्राप्त न होने के कारण ₹22103.40 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(D) "Border Security Force - Directorate General of Border Security Force" - the original provision of ₹1944040.00 lakhs was augmented to ₹2033111.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹89071.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹22103.40 lakhs - due to less enhancement in the rates of Ration Money Allowance and non-receipt of claims.

(ड़ा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड – स्थापना" – ₹102699.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹7836.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹110535.00 किया गया जो, तथापि, इनवेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एवं आईटी उपकरणों हेतु अधिप्राप्ति प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने और दावे प्राप्त न होने के कारण ₹2506.65 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(E) "National Security Guard - Establishment" - The original provision of ₹102699.00 lakhs was augmented to ₹110535.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹7836.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2506.65 lakhs - due to non-materialization of the procurement proposals for inventory management software & IT equipment and non-receipt of claims.

(चा) "बेतार तथा कम्प्यूटर – इंटर–स्टेट पुलिस वायरलेस स्कीम" – ₹7631.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1260.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹8891.00 लाख किया गया जो, तथापि, कम परामर्शदाता रखे जाने और धीमी गति से कार्य होने के कारण ₹175.37 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(F) "Wireless and Computers - Inter-State Police Wireless Scheme" - the original provision of ₹7631.00 lakhs was augmented to ₹8891.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1260.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹175.37 lakhs - due to hiring of less consultants and slow pace of work.

(छा) "सीमा प्रबंधन" –

(G) "Border Management" -

(क) "भारत–बांग्लादेश सीमा निर्माण" – ₹9365.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2485.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹11850.00 लाख किया गया जो, तथापि, विभिन्न प्राधिकरणों से दावों का निपटान होने/उनकी प्राप्ति न होने तथा कार्य की धीमी गति के कारण ₹1627.60 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(a) "Indo-Bangladesh Border Works" - the original provision of ₹9365.00 lakhs was augmented to ₹11850.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2485.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹1627.60 lakhs - due to non-settlement/non-receipt of claims from various authorities and slow pace of work.

(ख) "भारत–पाकिस्तान सीमा निर्माण" – ₹9364.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1190.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹10554.00 लाख किया गया जो, तथापि, विभिन्न प्राधिकरणों की ओर से दावों का निपटान न होने/उनकी प्राप्ति न होने के कारण ₹480.04 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Indo-Pak Border Works" - the original provision of ₹9364.00 lakhs was augmented to ₹10554.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1190.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹480.04 lakhs - due to non-settlement/non-receipt of claims from various authorities.

(ग) "तटीय सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत अन्य सरकारी विभागों/सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों को देय प्रभार" – ₹1123.00 लाख की निधियां में पूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैया कराई गई थी, जो, तथापि, मत्स्य पालन विभाग द्वारा कम निधियों का इस्तेमाल किए जाने के कारण ₹576.47 की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(c) "Charges payable to other Government Departments/PSUs under Coastal Security Scheme" - funds of ₹1123.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹576.47 lakhs - due to utilisation of less funds by Department of Fisheries.

(IV) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(IV) Under Major Head "2055" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का विभागीय लेखा संगठन" – ₹594.00 लाख की बचत (₹11735.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(A) "Direction and Administration - Departmental Accounting Organization of Central Armed Police Forces" - saving of ₹594.00 lakhs

उपकरणों की आपूर्ति के लिए ऑर्डर को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹11735.00 lakhs) was due to non-materialization of order for supply of equipments.

(खा) "शिक्षा तथा प्रशिक्षण – राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" – ₹2074.30 लाख की बचत (₹14975.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने, कम दौरे किए जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(B) "Education and Training - National Police Academy" - saving of ₹2074.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14975.00 lakhs) was due to receipt of less claims, less tours undertaken, non-finalization of proposals and slow pace of work.

(गा) "अनुसंधान – पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो" – ₹1159.29 लाख की बचत (₹4912.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने, कम परामर्शदाता रखे जाने परियोजनाओं को अनुमोदन न मिलने तथा कम दावे प्राप्ते होने के कारण हुई।

(C) "Research - Bureau of Police Research & Development" - saving of ₹1159.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4912.00 lakhs) was due to conduction of less training programmes, hiring of less consultants, non-approval of projects and receipt of less claims.

(घा) "अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता" –

(D) "Criminal Investigation and Vigilance" -

(क) "केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला" – ₹589.58 लाख की बचत (₹4431.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने के कारण।

(a) "Central Forensic Science Laboratory" - saving of ₹589.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4431.00 lakhs) was due to receipt of less claims.

(ख) "निर्भया निधि से वित्तपोषित स्कीमें" – ₹524.32 लाख की बचत (₹1914.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपकरणों की आपूर्ति की सुपुर्दगी पूरी न होने के कारण हुई।

(b) "Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹524.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1914.00 lakhs) was due to non-completion of delivery of supply of equipments.

(ङ) "विशेष पुलिस – भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र" – ₹7598.63 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के लिए अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(E) "Special Police - Indian Cyber Crime Coordination Centre" - saving of ₹7598.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to non-finalization of procurement proposals for hardware/software and receipt of less claims.

(चा) "पुलिस कार्मिकों का कल्याण – केन्द्रीय पुलिस संगठनों को कल्याण अनुदान" – ₹1028.27 लाख की बचत (₹10150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 लॉकडाउन की वजह से दावों का निपटान न होने की वजह से हुई।

(F) "Welfare of Police Personnel - Welfare Grant to Central Police Organizations" - saving of ₹1028.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10150.00 lakhs) was due to non-settlement of claims owing to COVID - 19 lockdown.

(छा) "बेतार तथा कम्प्यूटर – राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो" – ₹1665.20 लाख की बचत (₹8767.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कम्प्यूटरों के हिस्से–पुर्जों की कम आवश्यकता के कारण हुई।

(G) "Wireless and Computers - National Crime Records Bureau" - saving of ₹1665.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8767.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals and requirement of less computer peripherals.

(जा) "सीमा प्रबंधन – तटीय सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान" – ₹2077.35 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नौकाओं की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(H) "Border Management - Grants to Union Territories without Legislature under Coastal Security Scheme" - saving of ₹2077.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non-materialization of proposals for procurement of boats.

(झा) "अन्य व्यय – निर्भया निधि परियोजना" – ₹6086.39 लाख की बचत (₹9400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) "Other Expenditure - Nirbhaya Fund Project" - saving of ₹6086.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9400.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचत हुई:–

(V) Under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States - Special Assistance" - saving occurred under the following heads: -

(का) "पुलिस संबंधी खर्चों के लिए अनुदान/प्रतिपूर्ति" – ₹1398.39 लाख की बचत (₹12500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Grants/Re-imbursement for Police Related Expenses" - saving of ₹1398.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from State Governments.

(खा) "तटीय सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान" – ₹1396.86 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों की ओर से तटीय सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत मुहैया कराई गई नौकाओं पर पीओएल खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Grants to State Governments under Coastal Security Scheme" - saving of ₹1396.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from states towards reimbursement of POL expenses incurred on boats provided under the Coastal Security Scheme.

(VI) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹1948.77 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 40 प्रतिशत थी।

(VI) Under five heads saving of ₹1948.77 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 13 percent to 40 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹82889.75 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसाकि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत नवंबर, 2019 तथा

3.(I) The above savings were partly (₹82889.75 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while

मार्च, 2020 में ₹290316.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

(का) मुख्य शीर्ष "2055" –

(क) "सीमा सुरक्षा बल – भारत–तिब्बत सीमा पुलिस" – ₹11491.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹10082.92 लाख था।

(ख) "औद्योगिक सुरक्षा बल – निदेशन और प्रशासन" – ₹19140.25 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹18211.34 लाख था।

(ग) "दिल्ली पुलिस – निदेशन और प्रशासन" – ₹8191.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹7393.84 लाख था।

(घ) "सशस्त्र सीमा बल – स्थापना" – ₹14435.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹13790.79 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" – ₹3958.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2827.82 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" –

(क) "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" – ₹24549.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹24548.00 लाख था।

(ख) "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – निर्भया निधि से वित्तपोषित स्कीम" – ₹1125.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1123.50 लाख था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, निम्नलिखित प्रकार से बचतें हुईः–

obtaining supplementary grant of ₹290316.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 under the following heads: -

(A) Major Head "2055" -

(a) "Border Security Force - Indo-Tibetan Border Police" - ₹11491.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹10082.92 lakhs.

(b) "Industrial Security Force - Direction and Administration" - ₹19140.25 lakhs. Actual excess, however, was ₹18211.34 lakhs.

(c) "Delhi Police - Direction and Administration" - ₹8191.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹7393.84 lakhs.

(d) "Sashastra Seema Bal - Establishment" - ₹14435.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13790.79 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Modernisation of Police Forces" - ₹3958.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2827.82 lakhs.

(C) Major Head "3602" -

(a) "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Modernisation of Police Forces" - ₹24549.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹24548.00 lakhs.

(b) "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislature - Special Assistance - Scheme financed from Nirbhaya Fund" - ₹1125.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹1123.50 lakhs.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred as under: -

(I) *₹42.00 लाख* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹419.01 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 84 प्रतिशत थी।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

(I) *Appropriation* of *₹ 42.00 lakhs* remained wholly unutilized under three heads.

(II) Under one head saving of *₹ 419.01 lakhs* occurred constituting 84 percent of the sanctioned *appropriation*.

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष / Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	1004735.00			
पू.	S.	2.00	924871.00	891781.15	-33089.85
पु.	R.	-79866.00			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	76454.00			
			..	..	..
पु.	R.	-76454.00			

(I) ₹78594.00 लाख का प्रावधान सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹78484.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹78594.00 lakhs remained wholly unutilized under sixteen heads; of these ₹78484.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "4055" –

(A) Major Head "4055"-

(क) "दिल्ली पुलिस – कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली" – ₹530.00 लाख – परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने के कारण।

(a) "Delhi Police - Intelligent Traffic Management System" - ₹530.00 lakhs - due to non-approval of project proposals.

(ख) "सीमा प्रबंधन – भारत–म्यांमार सीमा निर्माण" – ₹1500.00 लाख – समग्र परियोजना रिपोर्ट की तैयारी प्रकियाधीन होने के कारण।

(b) "Border Management - Indo-Myanmar Border Works" - ₹1500.00 lakhs - due to detailed project report being under preparation.

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" –

(B) Major Head "4552" -

(क) "असम राइफल्स" –

(a) "Assam Rifles" -

(i) "आवासीय भवन" – ₹7864.00 लाख;

(i) "Residential Building" - ₹7864.00 lakhs;

(ii) "कार्यालय भवन" – ₹10755.00 लाख;

(ii) "Office Building" - ₹10755.00 lakhs;

(ख) "सीमा सुरक्षा बल" –

(b) "Border Security Force" -

(i) "आवासीय भवन" – ₹2430.00 लाख;

(i) "Residential Building" - ₹2430.00 lakhs;

(ii) "कार्यालय भवन" – ₹3124.00 लाख;

(ii) "Office Building" - ₹3124.00 lakhs;

(ग) "सशस्त्र सीमा बल" –

(c) "Sashastra Seema Bal" -

(i) "आवासीय भवन" – ₹12707.00 लाख;

(i) "Residential Building" - ₹12707.00 lakhs;

(ii) "कार्यालय भवन" – ₹9990.00 लाख;

(ii) "Office Building" - ₹9990.00 lakhs;

(घ) "केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल" –

(d) "Central Reserve Police Force" -

(i) "आवासीय भवन" – ₹4803.00 लाख;

(i) "Residential Building" - ₹4803.00 lakhs

(ii) "कार्यालय भवन" – ₹1673.00 लाख;

(ii) "Office Building" - ₹1673.00 lakhs;

(ड.) "सीमा प्रबंधन" –

(e) "Border Management" -

(i) "भारत–बांग्लादेश सीमा निर्माण" – ₹12850.00 लाख;

(i) "Indo-Bangladesh Border Works" - ₹12850.00 lakhs;

(ii) "भारत–चीन सीमा" – ₹6000.00 लाख;

(ii) "Indo China Border" - ₹6000.00 lakhs;

(च) "भारत – तिब्बत सीमा पुलिस" –

(i) "आवासीय भवन" – ₹904.00 लाख; और

(ii) "कार्यालय भवन" – ₹3354.00 लाख।

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "केन्द्रीय रिजर्व पुलिस" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹9483.26 लाख की बचत (₹56197.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "आवासीय भवन" – ₹12215.73 लाख की बचत (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 लॉकडाउन की वजह से कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्य की धीमी गति के कारण हुईं।

(ग) "सामान्य" – ₹1576.54 लाख की बचत (₹61086.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 लॉकडाउन की वजह से आपूर्ति ऑर्डर की सुपुर्दगी पूरी न होने के कारण हुई।

(घ) "आधुनिकीकरण" – ₹4518.11 लाख की बचत (₹9238.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों की वजह से प्राप्ति प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने और कोविड–19 लॉकडाउन के कारण आपूर्ति की सुपुर्दगी पूरी न होने के कारण

(f) "Indo Tibetan Border Police" -

(i) "Residential Building" - ₹904.00 lakhs; and

(ii) "Office Building" - ₹3354.00 lakhs.

Provisions under the above twelve heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on Projects/ Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4055" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Central Reserve Police" -

(a) "Office Buildings" - saving of ₹9483.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹56197.00 lakhs);and

(b) "Residential Buildings" - saving of ₹12215.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow pace of work by executing agencies owing to COVID-19 lockdown.

(c) "General" - saving of ₹1576.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹61086.00 lakhs) was due to non-completion of delivery of supply order owing to COVID-19 lockdown.

(d) "Modernisation" - saving of ₹4518.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9238.00 lakhs) was due to non-materialization of procurement proposals owing to administrative reasons and non-

हुई।

completion of delivery of supply order owing to COVID-19 lockdown.

(खा) "असम राइफल्स" –

(B) "Assam Rifles" -

(क) "बाहरी सीमा चौकी" – ₹2000.00 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कार्य की धीमी गति के कारण।

(a) "Border Out Post" - saving of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals and slow pace of work.

(ख) "आधुनिकीकरण" – ₹3560.00 लाख की बचत (₹4480.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों का पुनर्निर्धारण होने के कारण हुई।

(b) "Modernisation" - saving of ₹3560.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4480.00 lakhs) was due to re-scheduling of proposals.

(गा) "सीमा सुरक्षा बल – सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" – ₹3798.84 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹0.02 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹101977.02 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्य की गति धीमी होने, प्रशासनिक कारणों से अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अनुमोदन न दिए जाने तथा कोविड–19 लॉकडाउन की वजह से कार्य बंद होने के कारण हुई।

(C) "Border Security Force - Directorate General of Border Security Force" - saving of ₹3798.84 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹101977.02 lakhs including token supplementary grant of ₹0.02 lakh obtained in March, 2020) was due to slow pace of work by executing agencies, non-approval of procurement proposals owing to administrative reasons and stoppage of work owing to COVID-19 lockdown.

(घा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड" –

(D) "National Security Guard"

(क) "सामान्य" – ₹3640.73 लाख की बचत (₹7098.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहनों की गुणवत्ता आवश्यकता को मूर्त रूप न दिए जाने, क्यूआर के संशोधनाधीन होने तथा कोविड–19 लॉकडाउन के कारण आपूर्ति की सुपुर्दगी पूरी न होने के कारण हुई।

(a) "General" - saving of ₹3640.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7098.00 lakhs) was due to non-materialisation of Quality requirement of vehicles, QR being under revision and non-completion of delivery of supply order owing to COVID-19 lockdown.

(ख) "आधुनिकीकरण" – ₹2138.83 लाख की बचत (₹2165.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों से अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने और कोविड–19 लॉकडाउन के कारण आपूर्ति की सुपुर्दगी पूरी न होने के कारण हुई।

(b) "Modernisation" - saving of ₹2138.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2165.00 lakhs) was due non-approval of procurement proposals owing to administrative reasons and non-completion of delivery of supply order owing to COVID-19 lockdown.

(ग) "आवासीय भवन" – ₹2439.20 लाख की बचत (₹3777.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(c) "Residential Buildings" - saving of ₹2439.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3777.00 lakhs); and

(ङ) "औद्योगिक सुरक्षा बल – आवासीय भवन" – ₹1048.11 लाख की बचत (₹12996.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(E) "Industrial Security Force - Residential Buildings" - saving of ₹1048.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12996.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्य की धीमी गति होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to slow pace of work by the executing agencies.

(चा) "विशेष सुरक्षा समूह – सामान्य" – ₹5820.42 लाख की बचत (₹11500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(F) "Special Protection Group - General" - saving of ₹5820.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11500.00 lakhs) was due to non-approval of procurement proposals.

(छा) "विशेष पुलिस – निर्भया निधि से वित्तपोषित स्कीमें" – ₹1186.57 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बोलीदाताओं से अपर्याप्त प्रत्युत्तर मिलने के कारण निविदा समाप्त किए जाने और कोविड–19 लॉकडाउन के कारण विभिन्न उपकरणों के आपूर्ति ऑर्डर की सुपुर्दगी पूरी न होने के कारण हुई।

(G) "Special Police - Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹1186.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to scrapping of the tenders owing to inadequate response from bidders and non-completion of supply order for various equipment owing to COVID-19 lockdown.

(जा) "अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण" –

(H) "Research, Education and Training" -

(क) "राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" – ₹1370.00 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2660.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(a) "National Police Academy" - saving of ₹1370.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2660.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in March, 2020) was due to slow pace of work by executing agencies.

(ख) "राष्ट्रीय अपराध विज्ञान तथा फोरेंसिक विज्ञान संस्थान" – ₹697.74 लाख की बचत (₹1540.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "National Institute of Criminology and Forensic Science" - saving of ₹697.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1540.00 lakhs);

(ग) "केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय" – ₹2430.85 लाख की बचत (₹4838.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(c) "Central Detective Training School" - saving of ₹2430.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4838.00 lakhs); and

(घ) "पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी" – ₹997.09 लाख की बचत (₹1626.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(d) "North Eastern Police Academy" - saving of ₹997.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1626.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्यों की धीमी गति होने तथा अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to slow pace of work by executing agencies and non-approval of procurement proposals.

(ड.) "केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान" – ₹25090.00 लाख की बचत (₹50090.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली में निर्माण पर प्रतिबंध के कारण कार्य की धीमी गति होने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कोविड–19 लॉकडाउन की वजह से कार्य बंद किए जाने के कारण हुई।

(e) "Central Armed Police Force Institute of Medical Science" - saving of ₹25090.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50090.00 lakhs) was due to slow pace of work owing to ban on construction in Delhi, non-finalization of proposals and stoppage of works owing to COVID-19 lockdown.

(झा) "दिल्ली पुलिस – दिल्ली पुलिस आवासन के संबंध में सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल" – ₹1528.33 लाख की बचत (₹9467.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(I) "Delhi Police - Public Private Partnership Initiative on Delhi Police Housing" - saving of ₹1528.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9467.00 lakhs) was due to slow pace of work by the executing agencies.

(ञ) "सशस्त्र सीमा बल – आधुनिकीकरण" – ₹606.53 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1484.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(J) "Sashastra Seema Bal - Modernisation"- saving of ₹606.53 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1484.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in March, 2020) was due to non-finalisation of procurement proposals.

(टा) "अन्य पुलिस संगठन" –

(K) "Other Police Organisation" -

(क) "समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)" – ₹1068.55 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹0.01 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3792.01 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने, कार्य की गति धीमी होने तथा कोविड–19 लॉकडाउन के कारण उपकरणों के आपूर्ति ऑर्डर की सुपुर्दगी पूरी न होने के कारण हुई।

(a) "Directorate of Coordination (Police Wireless)" - saving of ₹1068.55 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3792.01 lakhs including token supplementary grant of ₹0.01 lakh obtained in March, 2020) was due to non-approval of procurement proposals, slow pace of work and non-completion of delivery of supply order for equipments owing to COVID-19 lockdown.

(ख) "केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला" – ₹1274.90 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹0.02 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹4528.02 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्य की गति धीमी होने और आपूर्ति आर्डर की सुपुर्दगी होने तथा कोविड–19 लॉकडाउन के कारण भवन कार्य बंद होने की वजह से हुई।

(b) "Central Forensic - Science Laboratory" - saving of ₹1274.90 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4528.02 lakhs including token supplementary grant of ₹0.02 lakh obtained in March, 2020) was due to slow pace of work of executing agencies and non-completion of delivery of supply order and stoppage of building work owing to COVID-19 lockdown.

(ग) "अनुसंधान" – ₹93062.41 लाख की बचत (₹190122.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्य की धीमी गति होने तथा कोविड–19 लॉकडाउन के कारण आपूर्ति ऑर्डर की सुपुर्दगी पूरी न होने के कारण हुई।

(c) "Research" - saving of ₹93062.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹190122.00 lakhs) was due to slow pace of work by the executing agencies and non-completion of delivery of supply order owing to COVID-19 lockdown.

(घ) "आसूचना ब्यूरो" – ₹1860.44 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹0.78 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹20250.78 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपकरणों की कम आवश्यकता, कोविड–19 लॉकडाउन के कारण आपूर्ति ऑर्डर की सुपुर्दगी न होने की वजह से हुई।

(d) "Intelligence Bureau" - saving of ₹1860.44 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹20250.78 lakhs including token supplementary grant of ₹0.78 lakh obtained in March, 2020) was due to fewer requirement of equipment, non-completion of delivery of supply order owing to COVID-19 lockdown.

(ङ) "स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" – ₹1657.76 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्य की गति धीमी होने की वजह से हुई।

(e) "Narcotics Control Bureau" - saving of ₹1657.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs) was due to slow pace of work by executing agencies.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹822.11 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत थी।

(III) Under three heads saving of ₹822.11 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 20 percent to 50 percent of the sanctioned provision.

6.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹82671.00 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसाकि मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में ₹2.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

6. The above savings were partly (₹82671.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹2.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 under Major Head "4055" - under the following heads:-

(का) "असम राइफल्स" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹10356.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹9817.69 लाख था।

(ख) "आवासीय भवन" – ₹7864.00 लाख।

(खा) "सीमा सुरक्षा बल – भारत–तिब्बत सीमा पुलिस" – ₹4627.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2952.76 लाख था।

(गा) "औद्योगिक सुरक्षा बल – आधुनिकीकरण" – ₹471.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹437.11 लाख था।

(घा) "विशेष सुरक्षा समूह – कार्यालय भवन" – ₹3028.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3027.99 लाख था।

(ड.) "अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण" –

(क) "केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी" – ₹1858.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹662.45 लाख था।

(ख) "राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय" – ₹3600.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3487.52 लाख था।

(चा) "दिल्ली पुलिस – दिल्ली पुलिस भवन कार्यक्रम" – ₹2415.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2414.78 लाख था।

(छा) "सशस्त्र सीमा बल – कार्यालय भवन" – ₹13880.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹13595.85 लाख था।

(जा) "सीमा प्रबंधन" –

(A) "Assam Rifles" -

(a) "Office Buildings" - ₹10356.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹9817.69 lakhs.

(b) "Residential Buildings" - ₹7864.00 lakhs.

(B) "Border Security Force - Indo-Tibetan Border Police" - ₹4627.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2952.76 lakhs.

(C) "Industrial Security Force - Modernisation" - ₹471.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹437.11 lakhs.

(D) "Special Protection Group - Office Buildings" - ₹3028.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3027.99 lakhs.

(E) "Research, Education and Training" -

(a) "Central Academy for Police Training" - ₹1858.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹662.45 lakhs.

(b) "National Police University" - ₹3600.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3487.52 lakhs.

(F) "Delhi Police - Delhi Police Building Programme" - ₹2415.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2414.78 lakhs.

(G) "Sashastra Seema Bal - Office Buildings" - ₹13880.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13595.85 lakhs.

(H) "Border Management" -

(क) "भारत–बांग्लादेश सीमा निर्माण" – ₹16792.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹15340.99 लाख था।

(a) "Indo-Bangladesh Border Works" - ₹16792.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹15340.99 lakhs.

(ख) "भारत–पाकिस्तान सीमा निर्माण" – ₹9585.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹9377.61 लाख था।

(b) "Indo-Pak Border Works" - ₹9585.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹9377.61 lakhs.

(ग) "भारत–चीन सीमा" – ₹3331.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3140.26 लाख था।

(c) "Indo-China Border" - ₹3331.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3140.26 lakhs.

(I) "अन्य पुलिस संगठन – राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड" – ₹4864.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹4051.84 लाख था।

(I) "Other Police Organisation - National Intelligence Grid" - ₹4864.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4051.84 lakhs.